

18/5/16

पञ्जाब की राजस्व बोर्ड  
 का मत है पश्चिम बंगाल  
 के जिले 330 का जमा 606 का  
 समस्त स्वयं हस्तांतरण  
 पर खर्च होने। जहाँ के पूर्व  
 खाना नहीं पाए हैं। कटौत  
 लनी गई। जहाँ का न माली  
 का खर्च बोर्ड का खर्च  
 से 1378 का 34.04 का  
 और से 45 हिस्सा होने के  
 कारण पर वारंट प्रस्तुत करके  
 हुए दो लाने दावा रिवाइवी  
 यथास्थिति बनाए रखने का  
 निवेदन किया है। अपने जहाँ  
 पर के माली के नकल जमा 2064-67  
 के 2064-67 के 2064-67 के 2064-67  
 जिनके कुल वारंट और  
 जमा 15। के नकल खर्च  
 दर्ज है। नकल जमा 2064-67 के 2064-67  
 2064-67 के नकल और माली  
 10 जिले के नकल खर्च  
 दर्ज रही है। नकल 6042  
 के द्वारा माली का खर्च  
 जमा 15 के नकल नकल  
 दर्ज किया गया है। जहाँ

सहायक कलेक्टर (सु.)  
 जयपुर

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस हुकम  
की तामिल में जारी  
हुए

रुजार्थ क्र 103 ने जकारिया  
 का प्रार्थना पत्र का एक्जन्ड किया  
 है पल्लु प्रह्लुल गीवडि के  
 रुजार्थ पर वादागत ग्रीफ प्रथम  
 रुजार्थ के तहत ग्रीफ दाखिल  
 है। रुजार्थ: उपर्युक्त विवेचन  
 के रुजार्थ पर प्रार्थना पत्र  
 प्रार्थना स्वीकार किया जाकर  
 रुजार्थ क्र 105 को वाड के  
 विधि तक गौजा खजाना  
 से छ. न 1378 के गीवडि की  
 यथास्थिति बनाये लकनेट्टु  
 पावडु किया जाता है। पत्रावली  
 फलान मुंजा होकर दाखिल  
 दफ्तार हो ॥

A 3/4

सहायक क्लर्क (पु.)  
 पालीप